



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072023-247485
CG-DL-E-20072023-247485

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3121]

No. 3121]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2023/आषाढ़ 29, 1945

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2023/ASHADHA 29, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2023

आयकर

का.आ. 3254(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (34ख) के साथ पठित धारा 197क की उप-धारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की किसी इकाई, जो मुख्य रूप से विमान को पट्टे पर देने का व्यवसाय कर रही है (इसमें इसके बाद भुगतानकर्ता के रूप में संदर्भित) द्वारा किसी कंपनी, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की इकाई है, जो एयरक्राफ्ट को पट्टे पर देने का व्यवसाय कर रही है (इसमें इसके बाद आदाता के रूप में संदर्भित) को भुगतान किए गए लाभांश की प्रकृति की किसी आय से आयकर अधिनियम की धारा 194 के अंतर्गत आयकर की कोई कटौती नहीं की जाएगी-

(क) आदाता-

- (i) भुगतानकर्ता को प्रपत्र सं. 1 में एक विवरण वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष का विवरण सह-घोषणा प्रस्तुत करे जिसमें निर्धारण दिया गया हो जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड 34(ख) के तहत छूट के लिए पात्र लाभांश आय देय है।

- (ii) ऐसा विवरण-सह-घोषणा उस निर्धारण वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के लिए प्रपत्र सं. 1 में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत और सत्यापित किया जाएगा जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड 34(ख) के तहत छूट के लिए पात्र लाभांश आय देय है।

(ख) भुगतानकर्ता-

- (i) प्राप्तकर्ता से प्रपत्र सं. 1 में विवरण-सह-घोषणा की प्रति की प्राप्ति की तारीख के बाद ऐसे लाभांश के प्राप्तकर्ता को किए गए भुगतान या जमा पर कर नहीं काटा जाएगा; और
- (ii) आयकर अधिनियम की धारा 200 की उप-धारा (3) के साथ पठित आयकर नियमावली, 1962 के नियम 31क में निर्दिष्ट कर कटौती की विवरणी में इस अधिसूचना के मद्देनजर ऐसे लाभांश के प्राप्तकर्ता को किए गए सभी भुगतानों का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिस पर कर कटौती नहीं की गई है।

2. प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली), यथास्थिति डाटा को सुरक्षित रूप से कैप्चर करने और प्रसारित करने और दस्तावेजों को अपलोड करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों को अधिकथित करेगा और प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) उपयुक्त सुरक्षा अभिलेखीय एवं पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित एवं कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ-

- (क) "एयरक्राफ्ट" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4च) के स्पष्टीकरण में दिया गया है;
- (ख) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में दिया गया है; और
- (ग) "इकाई" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यग) में दिया गया है।

3. यह अधिसूचना 1 सितंबर, 2023 से लागू होगी।

प्रपत्र सं. 1

**अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र
(कटौतीकर्ता/भुगतानकर्ता) को किसी एकक को एयरक्राफ्ट (डीडक्टी/आदाता) को पट्टे पर
देने के व्यवसाय में लगे हुए किसी एकक द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।**

1. निर्धारिती का नाम:
2. पैन:
3. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित इकाई का नाम और पता:

विवरण-सह-घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री..... की हैसियत से एतद्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त इकाई मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट के पट्टे के व्यवसाय में लगी हुई है और इसकी लाभांश आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (34 ख) के तहत छूट के लिए पात्र है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त इकाई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में काम करने वाली एक इकाई बनी हुई है औरवर्ष (निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक) के दौरान मुख्य रूप से विमान को पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगी हुई है जिसमें यह ब्यौरे-सह-घोषणा प्रस्तुत की जा रही है।

सत्यापन

मैंपुत्र/पुत्री....., की हैसियत से एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही और पूर्ण हैं।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

(आयकर अधिनियम की धारा 140 में दिए गए आय की रिटर्न को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने हेतु)

[अधिसूचना संख्या 52/2023/फा. सं. 275/17/2023-आईटी(बी)]

श्याम शर्मा, अवर सचिव